न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 07/2022

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना शिवगंज जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री शंकरलाल पुत्र श्री वजाजी जाति कलवी निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. मैसर्स सन ट्रांसपोर्ट कम्पनी मालिक श्री जे.जे. चौधरी निवासी मेहसाणा गुजरात जरिए पॉवर ऑफ एटॉर्नी होल्डर श्री योगेश भाई पटेल पुत्र श्री हसमुखभाई निवासी मेहसाणा गुजरात

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी, सिरोही।
2. श्री उमाराम रेबारी अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 11.09.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 18.10.2000 को रात्रि 2.30 ए.एम. पर प्रार्थी को जरिए टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई कि एक टैकर नम्बर जीजे 02 एक्स 1887 में अवैध रूप से केरोसीन भरा हुआ है, जिसका निरीक्षण करने पर उसमें 4000 लीटर के तीन कम्पार्टमेन्ट में केरोसीन भरा हुआ था। इस प्रकार टैंकर में कुल 12000 लीटर अवैध नीला केरोसीन पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के केरोसीन कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से केरोसीन को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया। उक्त प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2023 एवं दिनांक 14.06.2021 को निर्णित हो चुका था, जिसकी अपील न्यायालय सैशन न्यायाधीश सिरोही में की गई एवं न्यायालय सैशन न्यायाधीश सिरोही द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 02.09.2023 एवं दिनांक 14.06.2021 को अपास्त कर प्रकरण को इस न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वाहन के पंजीकृत स्वामी को सुनकर एवं साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आदेश पारित करें। ।

न्यायालय सैशन न्यायाधीश सिरोही की पालना में इस प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री जे.जे. चौधरी को अप्रार्थी संख्या दो के रूप में पक्षकार बनाकर उभय पक्ष को नोटिस जारी किए गए, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक व अप्रार्थी संख्या दो मैसर्स सन ट्रांसपोर्ट कम्पनी मालिक श्री जे.जे. चौधरी निवासी मेहसाणा गुजरात के पॉवर ऑफ एटॉर्नी होल्डर श्री योगेश भाई पटेल पुत्र श्री हसमुखभाई निवासी मेहसाणा गुजरात की ओर से अधिवक्ता श्री उमाराम रेबारी ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं अप्रार्थी संख्या एक श्री शंकरलाल व अप्रार्थी संख्या दो के पॉवर ऑफ एटॉर्नी होल्डर श्री योगेश भाई पटेल के बयान लिए गए, जिन्हें प्रकरण में शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में विस्तृत बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी सिरोही एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्ता श्री उमाराम रेबारी की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 18.10.2000 को रात्रि 2.30 ए.एम. पर प्रार्थी को जरिए टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई कि टैंकर नम्बर जीजे 02 एक्स 1887 में अवैध रूप से केरोसीन तेल भरा हुआ है, जिसे गुमानसिंह कोटन डीलर आशापुरा पेट्रोलियम पाली से भरकर तिरूपति फिलिंग स्टेशन रेवदर पर खाली होने के लिए पाली से शिवगंज की तरफ आ रहा है। उक्त सूचना पर प्रार्थी द्वारा नाकाबन्दी की गई तो 3.30 ए.एम. पर पाली की तरफ से उक्त टैंकर आया उसे पुलिस द्वारा रूकवाया गया। उक्त टैंकर के चालक एवं खलासी से टैंकर में भरे हुए माल के बारें में पूछने पर उनके द्वारा टैंकर में डीजल भरा हुआ होना बताया एवं उक्त माल के कागजात चैक करने पर आई.ओ. सी. सालावास डिपो के बिलों में डीजल व पेट्रोल उक्त टैंकर में भरा होना अंकित था एवं उक्त टैंकर का रवानगी समय 17.10.2000 को वक्त 9.37 ए.एम. का अंकित होने से संदेहास्पद होने पर चालक व खलासी से पूछताछ की तो टैंकर में ब्लू रंग का केरोसीन भरा होना बताया, जो पाली आशापुरा पेट्रोलियम डीलर से भरकर रेवदर पेट्रोल पम्प पर खाली करने ले जाना बताया तथा इस बाबत् अपने पास कोई परमिट तथा रूटचार्ट नहीं होना बताया, जिस पर टैंकर को थाने के सामने रूकवा कर जब्ती कार्यवाही बाबत् जरिए टेलीफोन सी.ओ. वृत्त सिरोही को सूचना दी गई। इस पर सी. ओ. वृत्त सिरोही द्वारा मौके पर मौतबिरान प्रवर्तन निरीक्षक शिवगंज एवं पटवारी शिवगंज के रूबरू चालक व खलासी ने ब्लू रंग का केरोसीन टैंकर में होना बताया, जिसको टैंकर में उपलब्ध डीप से नापा गया तो प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट में 4000 लीटर केरोसीन तेल भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार तीनों कम्पार्टमेन्ट में कुल 12000 लीटर केरोसीन तेल भरा हुआ होने से एवं चालक एवं खलासी के पास कोई अनुज्ञापत्र नहीं होने से कब्जे सरकार लिया गया। अतः कब्जे सरकार लिए गए नीला केरोसीन को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से उनके अधिवक्ता श्री उमाराम रेबारी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण का उक्त कब्जे सरकार लिए गए केरोसीन से कोई लेना–देना नहीं है। कब्जे सरकार लिए गए टैंकर में केरोसीन भरे होने का ज्ञान अप्रार्थी संख्या एक व दो को नही था। यह कि अप्रार्थी संख्या एक व अप्रार्थी संख्या दो के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर के द्वारा अपने बयानों में भी यह कथन किया गया है कि उन्हें टैंकर में भरे हुए माल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः उक्त टैंकर के मालिक को टैंकर के भरे हुए माल के बारे में जानकारी नहीं होने से उक्त टैंकर को समयपहरण से मुक्त रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 18.10.2000 को रात्रि 2.30 ए.एम. पर प्रार्थी को जरिए टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई कि टैंकर नम्बर जीजे 02 एक्स 1887 में अवैध रूप से केरोसीन तेल भरा हुआ है, जिसे गुमानसिंह कोटन डीलर आशापुरा पेट्रोलियम पाली से भरकर तिरूपति फिलिंग स्टेशन रेवदर पर खाली होने के लिए पाली से शिवगंज की तरफ आ रहा है। उक्त सूचना पर प्रार्थी द्वारा नाकाबन्दी की गई तो 3.30 ए.एम. पर पाली की तरफ से उक्त टैंकर आया उसे पुलिस द्वारा रूकवाया गया। उक्त टैंकर के चालक एवं खलासी से टैंकर में भरे हुए माल के बारें में पूछने पर उनके द्वारा टैंकर में डीजल भरा हुआ होना बताया एवं

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उक्त माल के कागजात चैक करने पर आई.ओ.सी. सालावास डिपो के बिलों में डीजल व पेट्रोल उक्त टैंकर में भरा होना अंकित था एवं उक्त टैंकर का रवानगी समय 17.10.2000 को वक्त 9.37 ए.एम. का अंकित होने से संदेहास्पद होने पर चालक व खलासी से पूछताछ की तो टैंकर में ब्लू रंग का केरोसीन भरा होना बताया, जो पाली आशापुरा पेट्रोलियम डीलर से भरकर रेवदर पेट्रोल पम्प पर खाली करने ले जाना बताया तथा इस बाबत् अपने पास कोई परमिट तथा रूटचार्ट नहीं होना बताया, जिस पर टैंकर को थाने के सामने रूकवा कर जब्ती कार्यवाही बाबत् जरिए टेलीफोन सी.ओ. वृत्त सिरोही को सूचना दी गई। इस पर सी.ओ. वृत्त सिरोही द्वारा मौके पर मौतबिरान प्रवर्तन निरीक्षक शिवगंज एवं पटवारी शिवगंज के रूबरू चालक व खलासी ने ब्लू रंग का केरोसीन टैंकर में होना बताया, जिसको टैंकर में उपलब्ध डीप से नापा गया तो प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट में 4000 लीटर केरोसीन तेल भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार तीनों कम्पार्टमेन्ट में कुल 12000 लीटर केरोसीन तेल भरा हुआ होने से एवं चालक एवं खलासी के पास कोई अनुज्ञापत्र नहीं होने से कब्जे सरकार लिया जाकर यह प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु पेश किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या एक श्री शंकरलाल द्वारा अपने दिए गए बयानों में यह कथन किया है कि उक्त टैंकर में डीजल भरकर श्री लालाराम लेकर आ रहा था तथा श्री लालाराम की तबियत खराब होने से वह अप्रार्थी संख्या एक श्री शंकरलाल को चाबी एवं बिल देकर चला गया, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अप्रार्थी संख्या एक श्री शंकरलाल का यह कथन मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि उक्त टैंकर को श्री लालाराम के द्वारा लाया गया हो एवं उसकी तबियत खराब होने पर बाद में श्री लालाराम द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को देकर गया हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते में किसी भी प्रकार की कार्यवाही से बचने के लिए डीजल के फर्जी बिल तैयार करवाकर उक्त टैंकर में गलत रूप से अवैध तरीके से ब्लू रंग के केरोसीन का परिवहन किया जा रहा था, जो विधि विरूद्ध है। जहां तक अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त टैंकर में भरे हुए केरोसीन के बारे में अप्रार्थी संख्या एक व दो को मालूम नहीं था, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वक्त निरीक्षण अप्रार्थी संख्या एक द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त टैंकर में ब्लू रंग का केरोसीन भरा हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या एक को उक्त टैंकर में केरोसीन होने की भलीभांति जानकारी थी। जहां तक उक्त टैंकर को समयपहरण से मुक्त किए जाने का सवाल है तो उक्त टैंकर के मालिक को यह भलीभांति ज्ञात था कि नीले केरोसीन का परिवहन करना अवैध है, इसके उपरान्त भी टैंकर मालिक द्वारा नीले केरोसीन का परिवहन किया जा रहा था एवं पुलिस द्वारा चैकिंग से बचने के लिए फर्जी डीजल के बिल तैयार कर काम में लिए जा रहे थे। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी वैध लाईसेंस एवं दस्तावेजी साक्ष्य के नीले केरोसीन का परिवहन किया जाना विधि विरूद्ध पाया जाता है। चूंकि खुले बाजार में नीला केरोसीन तेल उपलब्ध नहीं है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के खण्ड 6(4), राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(2) तथा केरोसीन (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 के खण्ड 3(1)(2) 3(ख) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से नीला केरोसीन का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये 12000 लीटर नीला केरोसीन को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिए गए 12000 लीटर ब्लू रंग के केरोसीन के अन्तिम निस्तारण में 11935 लीटर केरोसीन पाया गया, जिसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त केरोसीन के गलत रूप से परिवहन में काम में लिए वाहन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए(ग) के तहत इस शर्त के साथ समयपहरण करने के आदेश दिए जाते है कि वाहन के पंजीकृत स्वामी उक्त टैंकर में भरे हुए केरोसीन के निस्तारण से प्राप्त राशि की बराबर राशि एक माह की समयावधि में जिला रसद अधिकारी सिरोही के कार्यालय में जमा करा देते है तो उक्त टैंकर समयपहरण से मुक्त रहेगा। चूंकि उक्त टैंकर से बरामद 11935 लीटर केरोसीन का अंतरिम निस्तारण उपभोक्ताओं के वितरण के माध्यम से होकर प्राप्त राशि रूपए 1,05,721/– जरिए चालान संख्या 23 दिनांक 03.11.2000 द्वारा राजकोष में बतौर अमानत जमा हो चुके है। अतः जिला रसद अधिकारी सिरोही उक्त राशि प्रोपर लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे साथ ही वाहन मालिक से वसूली आदि की कार्यवाही कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner